न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– श्री कुलदीप सिंह शेखावत(आर.ए.एस.)
जी0सी0एम0एस0 न0–2014/00950
मुकदमा नम्बरः– 122/2014

1.रामनिवास पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी ग्राम गोदारा की ढाणी तन मोहब्बतसर तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं(राज0)।

आवेदक...

बनाम

1.भागचन्द पुत्र गौपाल(मृतक/फौत) जाति जाट निवासी ग्राम गोदारा की ढाणी तन मोहब्बतसर तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं(राज0)।

1/1. बिमला पत्नी भागचन्द जाति जाट निवासी ग्राम गोदारा की ढाणी तन मोहब्बतसर तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं(राज0)।

1/2. विकास पुत्र भागचन्द जाति जाट निवासी ग्राम गोदारा की ढाणी तन मोहब्बतसर तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं(राज0)।

1/3. बबीता पुत्री भागचन्द जाति जाट निवासी ग्राम गोदारा की ढाणी तन मोहब्बतसर तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं(राज0)।

2.रामलाल पुत्र गोपाल जाति जाट निवासी ग्राम गोदारा की ढाणी तन मोहब्बतसर तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं(राज0)।

3.करणीराम पुत्र गोपाल जाति जाट निवासी ग्राम गोदारा की ढाणी तन मोहब्बतसर तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं(राज0)।

4.शिशपाल पुत्र गणपत जाति जाट निवासी ग्राम गोदारा की ढाणी तन मोहब्बतसर तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं(राज0)।

5.सुभाष पुत्र गणपत जाति जाट निवासी ग्राम गोदारा की ढाणी तन मोहब्बतसर तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं(राज0)।

6.सुरेश पुत्र गणपत जाति जाट निवासी ग्राम गोदारा की ढाणी तन मोहब्बतसर तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं(राज0)।

7.जयराम पुत्र गणपत जाति जाट निवासी ग्राम गोदारा की ढाणी तन मोहब्बतसर तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं(राज0)।

8.सारा देवी पत्नी गणपत जाति जाट निवासी ग्राम गोदारा की ढाणी तन मोहब्बतसर तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं(राज0)।

9.तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं(राज0)।

10.उप पंजियक, नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं।

11.जिला कलक्टर जिला झुंझुनूं(राज0)।

अनावेदकगण...

अधिवक्ताः–

1. श्री चन्द्रकांत शर्मा – आवेदक
2. श्री अशोक जांगिड़– अनावेदक संख्या 1,2
3. श्री नीलकमल सैनी– अनावेदक संख्या 6, 7
4. श्री विजेन्द्र सिंह दूत– अनावेदक संख्या 8

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक : 31.10.2025

आवेदक ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया है कि आवेदक ने एक दावा उनवानी रामनिवास बनाम भागचन्द वगै0 बाकायदा माननीय न्यायालय हाजा में पेश कर दिया है जो बहुत ही मजबूत आधारों पर आधारित है। जिसमें आवेदक को सफलता मिलने की पुरी पुरी सम्भावना है। राजस्व ग्राम मोहब्बतसर पटवार हल्का चैलासी तहसील नवलगढ की सरहद में वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 48, 49, 51 कुल किता 3 कुल रकबा 4.22 हैक्टर अवस्थित है जिसके गत भूमि खसरा नम्बर 76/2 मी. रकबा 25 बीघा 8 बिस्वा रहे है, जो कि पैत्रिक भूमि है। उक्त वर्णित भूमि का राजस्व रिकार्ड गलत कायम होने से उक्त वर्णित भूमि विवादित है। राजस्व ग्राम मोहब्बतसर पटवार हल्का चैलासी तहसील नवलगढ की सरहद में अवस्थित अन्य वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 64, 65, 74, 75 कुल किता 4 कुल रकबा 6.26 हैक्टर जिसके गत भूमि खसरा नम्बर 93/2 मी., 91/2मी. रहे है अवस्थित है, जो कि पैत्रिक भूमि है जिसका आवेदक एवं अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 8 के मध्य कोई विवाद नही है। राजस्व ग्राम मोहब्बतसर में एक हेमा नाम का व्यक्ति पैदा हुआ था। हेमा के पांच जायन्दा पुत्र सन्तान क्रमशः गोपाल, सुरजा, भूरा, उदा, गणपत पैदा हुए। हेमा के सबसे बड़े पुत्र का नाम गोपाल था, गोपाल शादी के बाद फौत हो गया तब उसकी विधवा चावली ने हेमा के अन्य पुत्र सुरजा की चूड़ी पहन ली तथा सुरजा की बतौर पत्नी बनकर रही है। अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 3 सुरजा के विधिक वारिस है। हेमा के दो पुत्र भूरा व उदा अविवाहित फौत हो गये तथा हेमा का पांचवा पुत्र गणपत जो कि विवाहित था, आवेदक एवं अनावेदकगण संख्या 4 लगायत 8 गणपत के विधिक वारिस है।

राजस्व ग्राम मोहब्बतसर पटवार हल्का चैलासी तहसील नवलगढ की सरहद में स्थित हेमा की संपति भूमि खसरा नम्बर 48, 49, 51 कुल किता 3 कुल रकबा 4.22 हैक्टर का राजस्व रिकार्ड भागचन्द, रामलाल, करणीराम पिता गोपाल के नाम से दर्ज रिकार्ड है तथा भूमि खसरा नम्बर 64, 65, 74, 75 कुल किता 4 कुल रकबा 6.26 हैक्टर में भागचन्द, रामलाल, करणीराम पिता सुरजा के नाम से दर्ज रिकार्ड है। राजस्व ग्राम मोहब्बतसर पटवार हल्का चैलासी तहसील नवलगढ की सरहद में स्थित वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 48, 49, 51 कुल किता 3 कुल रकबा 4.22 हैक्टर अवस्थित है जिसके गत भूमि खसरा नम्बर 76/2 मी. रकबा 25 बीघा 8 बिस्वा रहे है, जो कि आवेदक एवं अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 8 की पैत्रिक भूमि है। उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड भूलवंश हेमा पिता खेता के बजाय गोपाल पिता हेमा के नाम से दर्ज रिकार्ड हो गया। *राजस्व ग्राम मोहब्बतसर के वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 48, 49, 51 कुल किता 3 कुल रकबा 4.22* हैक्टर अवस्थित है जिसके गत भूमि खसरा नम्बर 76/2 मी. रकबा 25 बीघा 8 बिस्वा रहे है तथा वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 64, 65, 74, 75 कुल किता 4 कुल रकबा 6.26 हैक्टर जिसके गत भूमि खसरा नम्बर 93/2 मी., 91/2मी. रहे का काश्तकार हेमा पुत्र खेता था लेकिन जब राजस्व रिकार्ड कायम हुआ तब गत भूमि खसरा नम्बर 93/2 मी., 91/2 मी. रकबा 25 बीघा 8 बिस्वा का खातेदार काश्तकार हेमा पुत्र खेता दर्ज रिकार्ड हुआ जो सही दर्ज रिकार्ड हुआ लेकिन गत भूमि खसरा नम्बर 76/2 मी. रकबा 25 बीघा 8 बिस्वा का राजस्व रिकार्ड गोपाल पुत्र हेमा के नाम से दर्ज रिकार्ड हुआ जो कि गलत दर्ज रिकार्ड हुआ जबकि उक्त संपति हेमा की थी तथा हेमा पुत्र खेता के नाम से दर्ज रिकार्ड होनी चाहिए थी, उक्त भूमि हेमा के जीवनकाल में उसके पुत्र गोपाल के नाम से दर्ज रिकार्ड हुई जो कि भूलवंश हुई है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

आवेदक एवं अनावेदकगण संख्या 4 लगायत 8 हेमा के पुत्र गणपत के विधिक वारिस है, जिनके हक–हकूक उक्त वर्णित भूमि में निहित है। उक्त भूमि को गणपत ने काश्त किया था तथा गणपत की मृत्यु के बाद गणपत के विधिक वारिसों ने मौखिक बंटवारा कर कब्जा काश्त हैं। दिनांक 20.07.2014 को अनावेदक संख्या 1 लगायत 3 विवादित भूमि पर आए तथा उक्त भूमि के गलत राजस्व रिकार्ड की आड़ में भूमि को विक्रय करने एवं खुर्द–बुर्द करने, ऋण लेने, निमार्ण की ऐलानिया धमकी दी। अगर अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 3 अपनी मंशा में सफल हो जाते है तो आवेदक के हक–हकुको पर कुठाराघात होगा। उक्त प्रकरण में प्रथम दृष्टया प्रकरण आवेदक के पक्ष में है, सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष मे तथा अपुर्णीय क्षति भी आवेदक को कारित होगी।

अन्त में निवेदन किया है कि अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि राजस्व ग्राम मोहब्बतसर पटवार हल्का चैलासी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 48, 49, 51 कुल किता 3 कुल रकबा 4.22 हैक्टर के मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे तथा अनावेदक संख्या 10 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि राजस्व ग्राम मोहब्बतसर पटवार हल्का चैलासी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 48, 49, 51 कुल किता 3 कुल रकबा 4.22 हैक्टर में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पंजिबद्ध नहीं करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अनावेदकगण की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई। अनावेदक संख्या 1 की तरफ से विद्वान अधिवक्ता ने जबाब पेश किया तथा कथन किया कि अनावेदक संख्या 2 का भी जबाब यही पढा जावे। अतः अनावेदक संख्या 1, 2 का जबाब प्रार्थना पत्र मय अतिरिक्त उत्तर इस प्रकार है कि आवेदक/ वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र गलत एवं वेग होने से आवेदक को संभलता मिलने की कोई संभावना नहीं है। वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित भूमि का अवस्थित होना स्वीकार है तथा भूमि खसरा नम्बर 64, 65, 74, 75 का इस प्रार्थना पत्र में कोई विवाद नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 गलत दर्ज होने से अस्वीकार है। यह सही है कि हेमाराम के पांच पुत्र गोपाल, सुरजा, भुरा, उदा, गणपत पैदा हुए लेकिन आवेदक ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में जो सजरा खानदान पेश किया है वह गलत पेश किया है। आवेदक ने गोपाल को विवाहित फौत होना बताया है जबकि गोपाल के तीन पुत्र एवं तीन पुत्रिया थे जब गोपाल की मृत्यु हुई उस वक्त गोपाल की पुत्री भुगानी अपनी माता के पेट/गर्भ में थी। गोपाल की मृत्यु के बाद गोपाल की पत्नि चावली ने सुरजाराम की चुड़ी पहन ली तथा सुरजाराम के साथ रहने लग गई। सुरजाराम व चावली से एक पुत्री संतान सुगनी पैदा हुई। अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 3 छोटे होने के कारण अपनी माता व चाचा सुरजाराम के साथ रहे तथा बड़े होने पर गोपाल की खातेदारी काश्त की भूमि अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 3 के नाम से दर्ज हो गई। आवेदक ने सुरजाराम एवं चावली देवी से पैदा पुत्री संतान सुगनी एवं पत्नी चावली को पक्षकार नहीं बनाया जो कि आज भी जिवित है। उक्त प्रकरण में सुगनी देवी एवं चावली देवी को पक्षकार नहीं बनाने से आवश्यक पक्षकारों का अभाव/मिस जोइन्डर ऑफ पार्टिज का दोष होने से प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया खारिज होने योग्य है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 गलत दर्ज होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 में आवेदक ने वर्णित किया है कि अनावेदकगण सख्या 1 लगायत 3 सुरजा के वारीसान है, जबकि अनावेदकण सख्या 1 लगायत 3 हेमा के सबसे बड़े पुत्र गोपाल जो कि विवाहित था के वारिसान है। अनावेदक संख्या 1 लगायत 3 के अलावा गोपाल के तीन पुत्रिया भी पैदा हुई थी। गोपाल की मृत्यु के बाद गोपाल की पत्नी

उपखण्ड अधिकारी
बबबमह

चावली ने सुरजा की चुड़ी पहन ली तथा गोपाल एवं चावली से एक पुत्री संतान सुगनी पैदा हुई। आवेदक ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह गलत अंकित किया है कि उक्त वर्णित भूमि हेमा की थी। वास्तविकता में उक्त वर्णित भूमि गोपाल की कब्जा काश्त एवं खातेदारी की भूमि थी जिस पर गोपाल जागीर खालसा होने से पूर्व से हि कब्जा काश्त था तथा जागीर खालसा होने के बाद उक्त भूमि गोपाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड हुई तथा गोपाल के फौत होने पर उक्त भूमि अनावेदकगण सख्या 1 लगायत 3 के नाम से दर्ज रिकार्ड हुई जो कि मिसल हकियत 1999 एवं राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2012 से लेकर आजतक से प्रमाणित है। भूमि खसरा नम्बर 64, 65, 74, 75 की भूमि आवेदक एवं अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 8 व सुरजा की पुत्री सुगनी एवं गोपाल की तीनों पुत्रियों की पैत्रिक भूमि रही है, जो कि स्व0 हेमा की खातेदारी की भूमि थी जिसका कोई विवाद नहीं है। यह सही है कि हेमा के दो पुत्र भुरा व उदा अविवाहित फौत हुए। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5, 6, 7, 9, 10 गलत एवं मनगढन्त तरिके से दर्ज होने से अस्वीकार है एवं प्रार्थना पत्र की मद संख्या 8 कानूनी है। अनावेदकगण ने अतिरिक्त उत्तर में अंकित किया है कि राजस्व ग्राम मोहब्बतसर पटवार हल्का चैलासी तहसील नवलगढ की सरहद में स्थित वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 48, 49, 51 कुल किता 3 कुल रकबा 4.22 हैक्टर अवस्थित है जिसके गत भूमि खसरा नम्बर 76/2 मी. रकबा 25 बीघा 8 बिस्वा रहे है। उक्त वर्णित भूमि गोपाल पुत्र हेमा की कब्जाकश्त एवं खातेदारी की भूमि रही है। गोपाल उक्त भूमि को अपने पिता के जीवन काल में ही जागीरदारों से प्राप्त कर काश्त करता था तथा जब जागीर खालसा हुई तो उक्त वर्णित भूमि की खातेदारी गोपाल को प्राप्त हुई तथा गोपाल के फौत होने पर उक्त वर्णित भूमि गोपाल के तीनो पुत्रों अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 3 के नाम से दर्ज रिकार्ड हुई एवं आज भी गोपाल के वारिसान उक्त वर्णित भूमि पर बांहमी बंटवारा कर कब्जा काश्त है। उक्त वर्णित भूमि सीकर–झुंझुनूं हाईवे पर अवस्थित होने के कारण आवेदक ने भू–माफियाओं से सांठ–गांठ कर रखी है तथा जबाबदेहन्दा से उक्त भूमि को हड़पने की बदनियत से यह प्रार्थना पत्र एवं वाद पेश किया है। आवेदक ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं वादपत्र में यह अंकित नहीं किया है कि आराजी में आवेदक का कितना हिस्सा है, किस प्रकार से है तथा बंटवारा बाबत् भी प्लीडिंग में कुछ भी अंकित नहीं किया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत वादपत्र/प्रार्थना पत्र अपूर्ण, अस्पष्ट व कानून विरूद्ध है, जो कि प्रथम दृष्टया आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के तहत खारिज होने योग्य है। अन्त में निवेदन किया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किया जाना प्रार्थनीय है।

आवेदक द्वारा जबाब उल जबाब मय काउन्टर क्लेम इस आशय का पेश किया गया है कि जबाब प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 स्वीकार है तथा जबाब प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 लगायत 8 अस्वीकार है एवं अतिरिक्त उत्तर की मद संख्या 1 व 2 अस्वीकार है। अन्त में निवेदन किया है कि अनावेदक संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय है। अनावेदक संख्या 6, 7, 8 ने इकबालिया जबाब प्रार्थना पत्र मूल का इस आशय का पेश किया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो जबाबदेहन्दा को कोई एतराज नहीं है। अनावेदक संख्या 3, 4, 5, 9, 10 बावजूद तामिल न्यायालय में हाजिर नही आए अतः इनके विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 11 की तामील पूर्ण मानी गई।

बहस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील आवेदक ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि राजस्व ग्राम मोहब्बतसर में एक हेमा नाम का व्यक्ति पैदा हुआ था। हेमा के पांच जायन्दा पुत्र सन्तान क्रमशः गोपाल, सुरजा, भूरा, उदा, गणपत पैदा

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

हुए। हेमा के सबसे बड़े पुत्र का नाम गोपाल था, गोपाल शादी के बाद फौत हो गया तब उसकी विधवा चावली ने हेमा के अन्य पुत्र सुरजा की चूड़ी पहन ली तथा सुरजा की बतौर पत्नी बनकर रही है। अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 3 सुरजा के विधिक वारिस है। हेमा के दो पुत्र भूरा व उदा अविवाहित फौत हो गये तथा हेमा का पांचवा पुत्र गणपत जो कि विवाहित था, आवेदक एवं अनावेदकगण संख्या 4 लगायत 8 गणपत के विधिक वारिस है। राजस्व ग्राम मोहब्बतसर के वर्तमान भूमि खसरा नम्बर. 48, 49, 51 कुल किता 3 कुल रकबा 4.22 हैक्टर जिसके गत भूमि खसरा नम्बर 76/2 मी. रकबा 25 बीघा 8 बिस्वा रहे है तथा वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 64, 65, 74, 75 कुल किता 4 कुल रकबा 6.26 हैक्टर जिसके गत भूमि खसरा नम्बर 93/2 मी., 91/2मी. रकबा 25 बीघा 8 बिस्वा रहे है, का काश्तकार हेमा पुत्र खेता था लेकिन जब राजस्व रिकार्ड कायम हुआ तब गत भूमि खसरा नम्बर 93/2 मी., 91/2 मी. रकबा 25 बीघा 8 बिस्वा का खातेदार काश्तकार हेमा पुत्र खेता दर्ज रिकार्ड हुआ जो सही दर्ज रिकार्ड हुआ लेकिन गत भूमि खसरा नम्बर 76/2 मी. रकबा 25 बीघा 8 बिस्वा का राजस्व रिकार्ड गोपाल पुत्र हेमा के नाम से दर्ज रिकार्ड हुआ जो कि गलत दर्ज रिकार्ड हुआ जबकि उक्त संपति हेमा की थी तथा हेमा पुत्र खेता के नाम से दर्ज रिकार्ड होनी चाहिए थी, उक्त भूमि हेमा के जीवनकाल में उसके पुत्र गोपाल के नाम से दर्ज रिकार्ड हुई जो कि भूलवंश हुई है। बहस के दौरान वकील आवेदक ने कथन किया कि गोपाल के कोई जायन्दा संतान पैदा नहीं हुई तथा अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 3 गोपाल की संतान नहीं होकर सुरजा की संताने है। आवेदक एवं अनावेदकगण संख्या 4 लगायत 8 हेमा के पुत्र गणपत के विधिक वारिस है, जिनके हक–हकूक उक्त वर्णित भूमि में निहित है। उक्त वर्णित भूमि को गणपत ने काश्त किया था तथा गणपत की मृत्यु के बाद गणपत के विधिक वारिसों ने मौखिक बंटवारा कर कब्जा काश्त हैं। वर्तमान में विवादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 3 के नाम से दर्ज रिकार्ड जो कि गलत दर्ज रिकार्ड है तथा अनावेदकगण इस गलत राजस्व रिकार्ड की आड़ में भूमि को विक्रय करने एवं खुर्द–बुर्द करने, ऋण लेने, निमार्ण करने पर आमादा है। अगर अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 3 अपनी मंशा में सफल हो जाते है तो आवेदक के हक–हकुको पर कुठाराघात होगा जिससे आवेदक का अपूर्णिय क्षति कारित होगी जिसकी भरपाई कतई संभव है। इस प्रकरण में प्रथम दृष्टया प्रकरण आवेदक के पक्ष में है, सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष मे तथा अपुर्णीय क्षति भी आवेदक को कारित होगी। अतः अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि राजस्व ग्राम मोहब्बतसर पटवार हल्का चैलासी तहसील नवलगढ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 48, 49, 51 कुल किता 3 कुल रकबा 4.22 हैक्टर के मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

बहस के दौरान वकील अनावेदक संख्या 1, 2 ने प्रस्तुत जबाब में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि हेमाराम के पांच पुत्र गोपाल, सुरजा, भुरा, उदा, गणपत पैदा हुए लेकिन आवेदक ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं बहस में जो सजरा खानदान पेश किया है वह गलत पेश किया है। आवेदक ने गोपाल को विवाहित फौत होना बताया है लेकिन जब गोपाल फौत हुआ तब गोपाल के तीन पुत्र एवं तीन पुत्रिया थे जिनमें से एक पुत्री भुगानी अपनी माता के पेट/गर्भ में थी। गोपाल की मृत्यु के बाद गोपाल की पत्नि चावली ने सुरजाराम की चुड़ी पहन ली तथा सुरजाराम के साथ रहने लग गई। सुरजाराम व चावली से एक पुत्री संतान सुगनी पैदा हुई। अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 3 उम्र में छोटे होने के कारण अपनी माता व चाचा सुरजाराम के साथ रहे तथा बड़े होने पर अलग रहने लग गये। गोपाल पुत्र हेमा उक्त भूमि को अपने पिता के जीवन काल में ही जागीरदारों से प्राप्त कर काश्त करता था तथा जब जागीर खालसा हुई तो उक्त वर्णित भूमि की खातेदारी गोपाल को प्राप्त हुई जिसकी पुष्टि राजस्व रिकार्ड गिरदावरी सम्वत्

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

2009 से 2012 एवं जमाबंदी सम्वत् 2013–2016 से होती है तथा गोपाल के फौत होने पर उक्त वर्णित भूमि गोपाल के तीनो पुत्रों अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 3 के नाम से दर्ज रिकार्ड हुई एवं आज भी गोपाल के वारिसान उक्त वर्णित भूमि पर बांहमी बंटवारा कर कब्जा काश्त है। अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 3 की माता चावली देवी के द्वारा सुरजाराम की चुड़ी पहनने के कारण कुछ दस्तावेज में अनावेदकगण के पिता गोपाल के स्थान पर सुरजाराम का नाम अंकित है, जो कि आवेदकगण के खातेदारी अधिकारों पर प्रभावी नहीं है। बहस के दौरान वकील अनावेदक संख्या 1, 2 ने जाहिर किया कि विवादग्रस्त भूमि सीकर–झुंझुनूं हाईवे पर अवस्थित है तथा किमती भूमि है जिसके कारण आवेदक ने भू–माफियाओं से सांठ–गांठ कर रखी है तथा अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 3 से उक्त भूमि को हड़पने, अनावेदक संख्या 1 लगायत 3 को हैरान व परेशान करने की बदनियत से तथा अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के लिए यह प्रार्थना पत्र एवं वाद पेश किया है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। बहस के दौरान वकील अनावेदक संख्या 6, 7, 8 ने कथन किया आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर उन्हें कोई एतराज आपत्ति नहीं है।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा विद्वान वकलाय की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन एवं बहस पर मनन करने के पश्चात इस निर्णय पर पंहुचते है कि कि राजस्व ग्राम मोहब्बतसर पटवार हल्का चैलासी तहसील नवलगढ की सरहद में वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 48, 49, 51 कुल किता 3 कुल रकबा 4.22 हैक्टर अवस्थित है पत्रावली पर मौजूद राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2069–2072 के अनुसार उक्त वर्णित भूमि अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 3 के नाम से दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि के गत भूमि खसरा नम्बर 76/2 मी. रकबा 25 बीघा 8 बिस्वा रहे है। बहस के दौरान वकील आवेदक ने जाहिर किया कि भूमि खसरा नम्बर 48, 49, 51 कुल किता 3 रकबा 4. 22 हैक्टर आवेदक एवं अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 8 की पैत्रिक भूमि है जिसमें आवेदक एवं अनावेदकगण संख्या 4 लगायत 8 का 1/2 हिस्सा बनता है लेकिन उक्त वर्णित भूमि की सम्पूर्ण खातेदारी अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 3 के नाम से दर्ज रिकार्ड है, पत्रावली पर मौजूद राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2013–2016, 2017–2020 के अनुसार उक्त वर्णित भूमि जागीर खालसा होने के समय से गोपाल पुत्र हेमा के नाम से दर्ज रिकार्ड रही है, जो कि गोपाल की स्वर्जित सपंति है तथा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2021–2024, 2025–2028, 2028–2032, 2033–2036, 2045–2048, 2049–2052, 2053–2056, 2057–2060, 2061–2064, के अनुसार विवादग्रस्त भूमि की खातेदारी अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 3 के नाम से दर्ज रिकार्ड रही है। बहस के दौरान वकील आवेदक ने उज्र किया कि अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 3 गोपाल की संतान नहीं होकर सुरजा की संतान है, पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात नकल वोटर लिस्ट सन् 1993, 1988, 1980 में अनावेदकगण सख्या 1 लगायत 3 के पिता का नाम गोपाल दर्ज है, फोटो प्रति पास बुक राजस्व विभाग में अनावेदकगण के पिता का नाम गोपाल दर्ज है, फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड की, फोटो प्रति बैंक पास बुक एसबीबीजे जारी दिनांक 24.11.1992 में आवेदकगण के पिता का नाम गोपाल दर्ज है। आवेदक राजस्व ग्राम मोहब्बतसर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 48, 49, 51 कुल किता 3 कुल रकबा 4.22 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड नहीं है। आवेदक ने भूमि खसरा नम्बर 48, 49, 51 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अनुतोष चाहा है लेकिन न्यायालयों के न्यायिक दृष्टांतों के अनुसार एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। हस्तगत प्रकरण में आवेदक का प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं बनता है, सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष में नहीं है इसलिए अपूर्णिय क्षति भी आवेदक को कारित होने की संम्भावना नहीं है। हस्तगत प्रकरण में आवेदक एवं अनावेदक संख्या 1 लगायत 3 के मध्य विवाद गोपाल व सुरजा के उत्तराधिकार को लेकर है। आवेदक के हक–हकूकों का निर्णय दावा में विधिवत सुनवाई एवं साक्ष्य के आधार पर होना है। हस्तगत प्रकरण में उक्त विवेचन से न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि आवेदक पक्ष प्रथम दृष्टया प्रकरण साबित करने में असफल रहा

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 खारिज किया जाता है।

(कुलदीप सिंह शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

निर्णय आज दिनांक 31.10.2015 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुलदीप सिंह शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी